# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री चावण्डदान चारण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या डिकी 186 सन 2017

पंजीयन दिनांक 22.8.2017

गोपाल पिता भंवरलाल धाकड निवासी–कनेरा तहसील निम्बाहेडा ।

अपीलांट

विरूद्व

1.चंदरू पिता रतनलाल पत्नी शंकरलाल गुर्जर नि.अजोता ।

2.काना उर्फ नाना पिता नाथु गुर्जर नि.श्रीनगर तहसील निम्बाहेडा जिला–चित्तौडगढ ।

3.राज्य जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा ।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा

प्रकरण संख्या 325/2013 निर्णय दिनांक 29.10.2014

उपस्थित–श्री अनुराग ओझा –अधिवक्ता अपीलांट

श्री पूरणमल स्वर्णकार–राज.अधिवक्ता रेस्पो–3

निर्णय दिनांक 20.9.201

प्रकरण के तथ्य सक्षैप में इस प्रकारहै कि वादी ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–53–188–209 के अन्तर्गत मौजा श्रीनगर पटवार हल्का निम्बोदा तहसील निम्बाहेडा में स्थित खाता संख्या 11 की आराजी नम्बर 46 रकबा 4.2100 हैक्टेयर के सबंधमें प्रस्तुत किया जो उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा दिनांक 29.10.2014 को वादी का वाद प्राथमिक डिकी किया गया जिसके विरूद्व अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील विलम्ब से पेश हुई है जिसके लिये अधिवक्ता अपीलांट द्वारा धारा–5 का प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है ।

इस न्यायालय में अपील दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्टगण के सम्मन नोटीस जारी किये गये जो इस न्यायालय को पुनः तामील होकर प्राप्त हुये जो रिकार्ड पर लिया जाकर अपीलांट नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित होने से उक्त पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही की जाकर अधिवक्ता अपीलांट की बहस हेतु नियत की गयी अधिवक्ता अपीलांट नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होकर पत्रावली में गुणावगुण पर बहस की जिनको गुणावगुण पर सुनाजाकर पत्रावली गुणावगुण पर निर्णय हेतु नियत की गयी ।

वकील अपीलांट ने वक्त बहस निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजियात में वादी का 1/3 हिस्सा है आपसी तौर पर बंटवाडा कर कब्जा कर रखा है परन्तु विधिवत बंटवाडा कर अलग–अलग कब्जा नहीं किया है इसलिये बंटवाडा करवाया जावें दावा पेश होने के बाद इसकी तामील जारी करा एक तरफा कार्यवाही कर वादीया का वाद एक पक्षीय डिकी कर दिया गया जो निरस्त योग्य है । अंत में उन्होने अपील में अंकित समस्त तथ्यों को पुनः दोहराते हुये प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्राथमिक निर्णय एवं डिकी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने वक्त बहस अधीनस्थ न्यायालय की प्राथमिक निर्णय विधि अनुरूप होने प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

मैन उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी ओर पत्रावली का अवलोकन किया गया विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलांट के विरूद्व बिना समुचित तामील के एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय एवं डिकी पारित की है जिससे अपीलांट अपना पक्ष विचारण न्यायालय में

प्रस्तुत करने से वंचित रहा है ऐसी स्थिति में अपीलांट प्रतिवादी की ओर से प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य पाये जाने से अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2014 निरस्त की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रेतिप्रेषित किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20.9.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ